

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक / / 2025

विषय : डा० अजीत कुमार, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), फार्माकोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986, पत्राक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप संख्या-1475(25), दिनांक-19.08.2024 के आलोक में डा० अजीत कुमार, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा) फार्माकोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को उनके अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० अजीत कुमार का सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2024 है।

(3) प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के पत्राक-7145 दिनांक-05.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-30.01.2024 से 30.09.2024 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए है (छायाप्रति संलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० अजीत कुमार, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), फार्माकोलॉजी विभाग पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक-2/पेन-107/2024-

647(2)

पटना, दिनांक 24/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, कोषागार पटना/डा० अजीत कुमार, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), फार्माकोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना पत्राचार का पता-ग्राम/मोहल्ला-घर सं०-10, शिव शम्भू नगर, अशियाना दीघा रोड, खाजपुरा, पो०-बी०भी०कॉलेज, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना, पिनकोड-800014/प्रशाखा पदाधिकारी- 03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।